67

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :— यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 120/2021

लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड, मुख्य व्यावसायिक कार्यालय 2 डी, एफ एल टावर, गोपीनाथ मार्ग, एम आई रोड, जयपुर 302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री संजय औझा।

—— प्रार्थी बैंक

बनाम

1. सुनिता देवी पत्नी श्री अजय कुमार भास्कर, पता— ग्राम सुल्ताना, वार्ड नं. 09 तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं राजस्थान।
2. अजय कुमार भास्कर पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह भास्कर, पता— ग्राम सुल्ताना, वार्ड नं. 09 तहसील चिडावा जिला — झुंझुनूं राजस्थान।
3. विरेन्द्र सिंह भास्कर पुत्र श्री मूल चन्द, पता—ग्राम गाडाखेडा, बिशनपुरा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः—

1. एडवोकट श्री मनोज कुमार वर्मा (एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0) — प्रार्थी बैंक की ओर से
2. अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 20.10.2021

प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने वित्तीय संस्था से दिनांक 31.08.2018 को जरिये लोन खाता संख्या PL 6007 राशि 20,00,000/— रूपये अक्षरे बीस लाख रूपये मात्र का ऋण लिया था। अप्रार्थी संख्या 1 व उसके सहऋणियों न ऋण व उसके मय ब्याज के पुर्नभुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अपनी अचल सम्पत्ति को प्रार्थी के पास रहन किया और उस सम्पति पर निर्मित भवन एवं ढाचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष मे गिरवीकृत किया जिसका विवरण नीचे वर्णित है। बंधक सम्पति का विवरण— श्रीमती सनिता देवी पत्नी श्री अजय कुमार भास्कर मालिक सम्पति आबादी प्लॉट खसरा नं. 219 ग्राम सुल्ताना, तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राजस्थान मे स्थित है। जिसमे भूमि, भवन एवं ढाचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका माप लगभग 936.9 वर्ग गज है।

चर्तुसीमा— पूर्व में — आम रास्ता
पश्चिम में — अन्य प्लॉट
उत्तर में — आम रास्ता 15 फीट और सुमेर सिंह का मकान
दक्षिण में — सुमेर सिंह का मकान

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

प्रार्थी कम्पनी अंतिम लेखा परीक्षित तुलन पत्र (last audited balance sheet) के अनुसार भारतीय रिजर्व बैक अधिनियम, 1934 की धारा 45–झ के खंड (च) में यथा निर्धारित एक सौ करोड रूपए से अधिक की आस्ति वाली गैर बैकिंग वित्तीय कम्पनी है जिसको केन्द्रीय सरकार (भारत सरकार) के वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 24.02.2020 को जारी अधिसूचना का.आ. 856 (अ) के द्वारा पचास लाख रूपए और उससे अधिक तथा दिनांक 12.02.2021 को जारी अधिसूचना का.आ 652 (अ) के द्वारा बीस लाख रूपए और उससे अधिक के सभी प्रतिभूत ऋणों के संबंध में प्रतिभूति हित को लागू करने के लिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रयोजनों के लिए वितीय संस्था के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। अधिसूचना पंजीकरण प्रमाण पत्र व बैलेंस शीट की प्रति संलग्न है। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और भुगतान के व्यतीकम व अतिदेय होने पर दिनांक 15.11.2019 को अकियान्वित आस्ति में वर्गीकृत कर दिया है अप्रार्थीगण के खाते में बकाया राशि लोन खाता संख्या – PL6007 कुल राशि 31,51,372/– रूपये दिनांक 20.02.2021 तक शेष व दिनांक 20.02.2021 से आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भूगतान करने के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 22.02.2021 को रजि0 नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया और जिसकी प्राप्ति के बाद भी पुनः देय राशि का भुगतान प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को नही दिया । अप्रार्थीगण ने देय ऋण राशि का भुगतान बावजूद मांग के प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को नही किया है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड उक्त चरण संख्या 2 में वर्णित सिक्योरिटी रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को वसूल करने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित सम्पति जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की संख्या 2 में दिया गया है का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी बैक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलाने की कृपा करावे।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड का ऋण नही चुकाया गया है। अप्रार्थी को प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा नियमानुसार एन0पी0ए0 घोषित किया जा चुका है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को प्रतिभूति सम्पत्ति का कब्जा दिलवाये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना स्वीकार कर उपरोक्त गिरवीकृत अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को दिलवाया जावे जिससे अधिनियम के प्रावधानुसार सम्पत्ति को बेचकर बकाया ऋण की वसूली की जा सके।

अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। अतः अप्रार्थीगण सं0 1 लगायत 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

हमने प्रार्थी प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व इस प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थी अपने ऋण का भुगतान करने में असफल रहें है व प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा अप्रार्थी/गारन्टर को अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड की ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अप्रार्थीगण, प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के साथ हुये अनुबन्ध के अनुसार ऋण राशि को चुकाने में विफल रहें है। अतः अप्रार्थीगण/ऋणी, गारन्टर को व्यक्तिक्रमी मानते हुये प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड द्वारा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिक्न्स्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनर्फोसमेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 के तहत प्रद्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बंधक रखी गई सम्पति अप्रार्थी सं0 1 श्रीमती सनिता देवी पत्नी श्री अजय कुमार भास्कर मालिक सम्पति आबादी प्लॉट खसरा नं. 219 ग्राम सुल्ताना, तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं राजस्थान मे स्थित है। जिसमे भूमि, भवन एवं ढाचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग है। जिसका माप लगभग 936.9 वर्ग गज है का पजेशन प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड को जरिये संबंधित पुलिस थाना की इमदाद से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी लक्ष्मी इण्डिया फिनलीजकेप प्रा0 लिमिटेड के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध करावें।

आदेश आज दिनांक 20.10.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/10/21

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं